<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 41/2024 **दायर दिनांकः 15.10.2024**

उनवान

1. चन्द्रकला आयु 61 वर्ष पुत्री शंकर जाति मेघवाल निवासी सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9509539233

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—
वादिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 30.06.2025

वादिया ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल सकतपुर पटवार हल्का सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की खाता संख्या 187 का ख.नं. 123 का रकबा 1.36 हे0 आराजी शंकर के वारिसान के शामलाती खातें दर्ज स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है।

यह कि वादिया का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

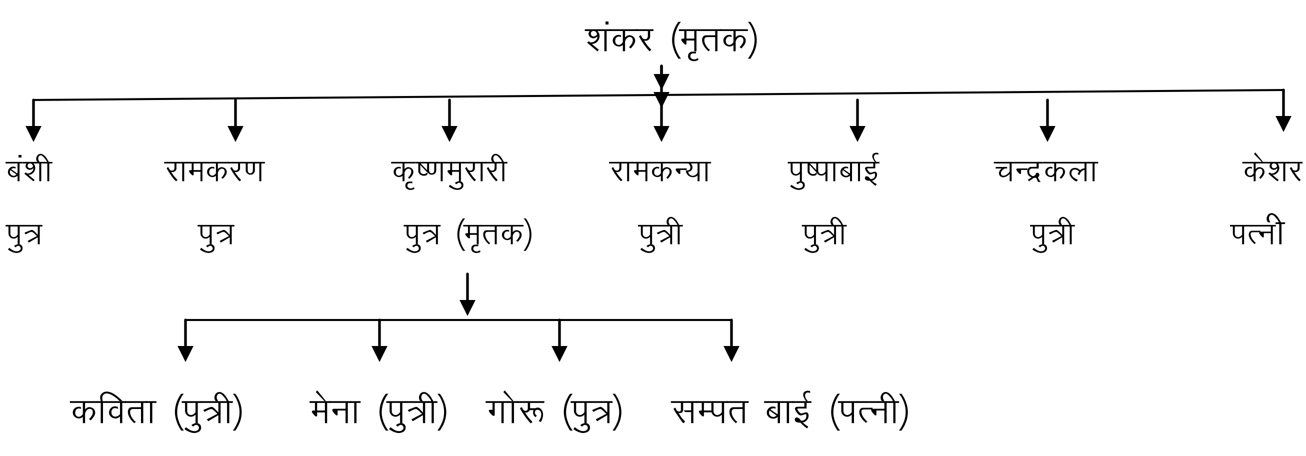

वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का सेटलमेन्ट से पूर्व पुराना ख.नं. 32 का रकबा 8 बीघा वादिया के पिता शंकरलाल के दर्ज खाता स्थित था। वादिया के पिता शंकरलाल की मृत्यु होने पर दौराने सेटलमेन्ट शंकरलाल का फौती नामान्तकरण शंकरलाल के सभी वारिसान बंशी, रामकरण, कृष्णमुरारी पुत्र शंकर, रामकन्या, पुष्पा, कला पुत्रिया शंकर, केशर बेवा शंकर के नाम से खोला गया था। परन्तु सम्वत् 2060 से 2063 में कम्प्यूटराइज जमाबन्दिया चन्द्रकला बनाते वक्त पुष्पा और कला को एक ही नाम पुष्पाकला गलत दर्ज करने की त्रुटि आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने कर दी और हिस्सा 1/7, /7 के स्थान पर 1/6, 1/6 दर्ज गलत दर्ज कर दिया। जबकि मृतक शंकर के वारिसान में पुष्पा बाई व चन्द्रकला का नाम अन्य वारिसान के साथ अलग–अलग दर्ज होना चाहिए था और आराजी 1/7, 1/7 दर्ज होनी चाहिए थी। वर्तमान में वादिया का नाम खाते में दर्ज नही होने से के.सी.सी. ऋण व सरकारी सहायता से वादिया वंचित हो रही है। जबकि वादिया उसके हिस्से की आराजी पर उसके पिता के जीवनकाल से बिना व्यवधान के काबिज काश्त करती चली आ रही है। पुरानी जमाबन्दिया एवं मिलान क्षेत्रफल साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में नाम दुरस्त कर वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जाना सम्भव नही है। यदि रिकार्ड दुरस्त कर वादिया को खातेदार कृषक घोषित नहीं किया गया तो वादिया अपने कब्जे काश्त एवं हक अधिकारों से वंचित हो जावेगी जिससे वादिया को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादिया को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में नाम दुरस्त कर वादिया को 1/7 हिस्से पर खातेदार कृषक घेषित किया जावे। वाद कारण प्रथम बार दौराने कम्प्यूटराइज जमाबन्दी बनाते वक्त पुष्पा व कला को एक ही नाम पुष्पाकला गलत दर्ज करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 15/04/2024 को अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम सकतपुर तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादिया द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को रजिस्टर्ड नोटिस मियादी 2 माह अन्तर्गत धारा 80 जा०दी० प्रेषित करवा दिया है लेकिन शंकरलाल के स्वामित्व की आराजी पर वादिया चन्द्रकला का नाम दर्ज नही होने के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित होने के कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा०दी० के साथ माननीय न्यायालय में वाद

प्रस्तुत किया जा रहा है। वादिया का प्रार्थना पत्र 80 (2) जा० दी० स्वीकार फरमाया जाकर वादिया के वाद की नियमित रूप से सुनवाई की जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने तथा वाद खातेदारी घोषणा का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद उचित न्याय शुल्क पर एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किं डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे रू–

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में नाम दुरस्त कर पुष्पाकला का अगल–अलग नाम पुष्पा बाई व चन्द्रकला दर्ज कर वादिया चन्द्रकला को हिस्सा 1/7 की आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। तहसीलदार अटरू से वाद के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1056 दिनांक 24.04.2025 से पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सकतपुर की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थिया का नाम पुष्पाकला पुत्री शंकर हिस्सा 1/6 जाति मेघवाल सा0 देह के नाम से दर्ज है जबकि जमाबन्दी सेटलमेंट में पुष्पा व कला पुत्रिया शंकर हिस्सा 1/7–1/7 में अलग अलग दर्ज है। सेटलमेंट जमाबन्दी में प्रार्थिया की जाति चमार व गैर खातेदारी में दर्ज है।

साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र Pw1 चन्द्रकला पुत्री शंकर जाति मेघवाल निवासी सकतपुर तहसील अटरू, Pw2 पुष्पा बाई पुत्री शंकर जाति मेघवाल निवासी सकतपुर तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा उनके सशपथ बयान लेखबद्व किए गए।

अभिभाषक वादिया की एक तरफा बहस सुनी। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल सकतपुर खाता संख्या नया 187 पुराना 350 सम्वत 2072–2075 (प्रदर्श–P1), नकल नक्शा ट्रेस ग्राम सकतपुर (प्रदर्श–P2), नकल सेटलमेंट (भू–प्रबन्ध) जमाबन्दी ग्राम सकतपुर 30 जून 2009 (प्रदर्श–P3), नकल जमाबन्दी ग्राम सकतपुर खाता संख्या

नया 311 पुराना 283 सम्वत 2060–2063 (प्रदर्श–P4), नकल जमाबन्दी ग्राम सकतपुर खाता संख्या नया 265 पुराना 255 30 जून 2009 (प्रदर्श–P5), नकल जमाबन्दी ग्राम सकतपुर खाता संख्या 202 (प्रदर्श–P6), नकल जमाबन्दी ग्राम सकतपुर खाता संख्या 146 (प्रदर्श–P7), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल सकतपुर खाता संख्या 307 (प्रदर्श–P8), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–P9), आधार कार्ड चन्द्रकला (प्रदर्श–P10A), जन आधार कार्ड चन्द्रकला (प्रदर्श–P11A), परिवार राशन कार्ड (प्रदर्श–P12A), नकल भू–प्रबन्धक विभाग जमाबन्दी ग्राम सकतपुर सम्वत 1989 से 2009 खाता संख्या 265 (प्रदर्श–P13), पेन कार्ड चन्द्रकला (प्रदर्श–P14A), आधार कार्ड पुष्पा व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

सेटलमेंट (भू प्रबन्ध विभाग) जमाबन्दी ग्राम सकतपुर (प्रदर्श–P5) व भू–प्रबन्धक विभाग जमाबन्दी ग्राम सकतपुर सम्वत 1989 से 2009 खाता संख्या 265 (प्रदर्श–P13) के अनुसार पुष्पा व कला पुत्रियां शंकर के नाम दर्ज है तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी सेटलमेंट ग्राम सकतपुर तहसील अटरू जिला कोटा सम्वत 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 खाता संख्या नया 265 पुराना 255 में पुष्पा व कला पुत्रियां शंकर हिस्सा 1/7, 1/7 में अलग अलग दर्ज है। अतः पुष्पा व कला नाम अलग अलग नाम होना साबित है। सेटलमेंट जमाबन्दी में प्रार्थिया की जाति चमार व गैर खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी ग्राम व माल सकतपुर खाता संख्या नया 187 पुराना 350 सम्वत 2072–2075 (प्रदर्श–P1) में खातेदार के रूप में दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, साक्ष्य गवाहों, दस्तावेजों के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर वादिया का वाद न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादिया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल सकतपुर पटवार हल्का सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या नया 187 पुराना 350 के ख0नं0 123 का रकबा 1.36 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.36 है0 आराजी में पुष्पाकला पुत्री शंकर हिस्सा 1/6 के स्थान पर पुष्पा पुत्री शंकर व चन्द्रकला पुत्री शंकर हिस्सा 1/7, 1/7 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 41/2024 **दायर दिनांकः 15.10.2024**

उनवान

1. चन्द्रकला आयु 61 वर्ष पुत्री शंकर जाति मेघवाल निवासी सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9509539233

वादिया

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :–
वादिया :–विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादी :– पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ғ..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल सकतपुर पटवार हल्का सकतपुर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या नया 187 पुराना 350 के ख0नं0 123 का रकबा 1.36 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.36 है0 आराजी में पुष्पाकला पुत्री शंकर हिस्सा 1/6 के स्थान पर पुष्पा पुत्री शंकर व चन्द्रकला पुत्री शंकर हिस्सा 1/7, 1/7 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ғ...................... मुबालिक ....ғ................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ғ.................................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ғ.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.06.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)